INDUS ACTION

छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार 12(1)(सी) के 10 साल

दिसंबर 2021

संदेश

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत छत्तीसगढ़ के सभी निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गयी हैं। अधिनियम के माध्यम से यह अवसर प्राप्त हुआ है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चे कम उम्र से ही एक-दूसरे के साथ अध्ययन और बातचीत करते हैं जिससे कि एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज की ओर अग्रसर हो सके।

इस प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ के 6500+ निजी विद्यालयों में 3 लाख से अधिक बच्चों को प्रवेश दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ और इंडस एक्शन पिछले एक दशक में आरटीई 12(1)(सी) के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। जागरूकता पैदा करने, प्रवेश को बढ़ावा देने और पारदर्शी ऑनलाइन प्रतिपूर्ति/अदायगी सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा किए गए उपाय बहुत ही सराहनीय हैं। कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच को सक्षम करने के लिए यह अधिनियम आवश्यक है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरटीई को लागू करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई और सीटों को बारहवीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया ताकि बच्चे बिना किसी बाधा के अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी कर सकें।

मै छत्तीसगढ़ के सभी निजी विधालयों का, धारा 12(1)(सी) को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं । और मै, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ की तरफ से, शासन के साथ मिलकर काम करने और प्रक्रिया को ऑनलाइन, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने में योगदान देने के लिए सहयोगी संस्था इंडस एक्शन को भी बधाई देता हूं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम
माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा
छत्तीसगढ़ शासन

संदेश

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत पिछले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ के 6500+ निजी विद्यालयों में लगभग 3 लाख बच्चों को प्रवेश दिया गया है। यह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इससे इन परिवारों के बच्चों को अपनी पसंद के विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलता है। शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य समाज में समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना है।

इस रिपोर्ट में राज्य में शिक्षा का अधिकार धारा 12(1)(c) की 10 साल की यात्रा को दर्शाया गया है। क्रियान्वयन को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया को एक एमआईएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है। विद्यालयों मे भर्ती / प्रवेश की प्रक्रिया अब राज्य से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है, साथ ही प्रवेशित बच्चों की उपस्थिती और प्रदर्शन की जानकारी को एकीकृत एवं ट्रैक किया जाता है। पोर्टल शिकायतों का समय पर निवारण और प्रतिपूर्ति/अदायगी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

मै स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ की ओर से इंडस एक्शन संस्था का उनके पूर्ण सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने और विभिन्न हितधारकों/हितभागियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए अग्रसर है।

डॉ. कमलप्रीत सिंह आई. ए. एस.
सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

विशेष आभार

हम आभार व्यक्त करते है, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ सरकार, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाई सिंह टेकम, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, डॉ. आलोक शुक्ला आईएएस, सचिव स्कूल शिक्षा, डॉ कमलप्रीत सिंह आईएएस, उप निदेशक डीपीआई, श्री आशुतोष चावरे, सहायक निदेशक डीपीआई, श्री अशोक बंजारा, सहायक निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, श्री एम. सुधीश, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, श्री ए.के. सोमशेखर, तकनीकी वैज्ञानिक, एनआईसी, श्रीमती ललिता वर्मा, एवं श्री अशोक कुलदीप।

इसके बाद हम सभी संयुक्त निदेशकों, डीपीआई में सहायक स्टाफ, सभी जिलों के डीईओ, ऑपरेटरों, आरटीई प्रभारी, निजी स्कूल, एसएसए और एनआईसी का आभार व्यक्त करते है, जिनके निरंतर प्रयासों एवं सुव्यवस्थित रूप से इस धारा को लागू करने से यह संभव हो पाया, एवं इसके परिणामस्वरूप एकत्र किए गए डेटा से यह रिपोर्ट संभव हो पाई है। हम पूर्व प्रशासकों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए – श्री गौरव द्विवेदी आईएएस, श्री सेथुरमन प्रकाश आईएएस, श्री जितेंद्र शुक्ला आईएएस, श्री एस एस कर (पूर्व सहायक संचालक)।

इसके बाद हम इंडस एक्शन से अभिषेक गुप्ता, अन्विता उपाध्याय, दीक्षा मेश्राम, लक्ष्मीप्रिया आर, मधु वर्मा, माधुरी धाड़ीवाल, मनब सिंघा, पंकज साहू, प्रज्ञना दिवाकर, श्रुति श्रीराम, सिद्धार्थ प्रेमकुमार, स्मिता मोहंती, तरुण चेरुकुरी, वेंकट हेमंत पोथुला, जसमीत कौर एवं एंड्रेस फ़ोर्टुनाटो, शिकागो विश्वविद्यालय का भी आभार व्यक्त करते है, जिन्होंने विभाग के चल रहे प्रयासों और प्रौद्योगिकी निर्माण मे सहायता किया एवं उनके समर्थन से डेटा संग्रह, क्षमता निर्माण, रिपोर्ट लिखना और डिजाइन करना आदि संभव हो पाया।

विषय सूची

06
सारांश

08
परिचय

10
आंकड़ो का विश्लेषण

16
अंतर्दृष्टि

18
अनुशंसा

20
निष्कर्ष

21
संदर्भ

सारांश

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक नींव की तरह महत्तवपूर्ण भूमिका निभाती है, किसी भी व्यक्ति के जीवन मे। जिस पर समाज का निर्माण होता है। इसके लिए संविधान मे शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा (12)(1)(सी) को लागू किया गया, जिसके माध्यम से समाज में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। इसके अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को अपनी कुल सीट के 25% सीट पर RTE (12)(1)(सी) के तहत बच्चों का दाखिला लेना अनिवार्य है। उक्त प्रावधान लागू होने के दस वर्ष पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है।

छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य के रूप मे RTE (12)(1)(C) अधिनियम को लागू करने में सबसे अग्रणी राज्य रहा है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य छत्तीसगढ़ मे पिछले दस वर्षों मे शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा (12)(1)(सी) (RTE (12)(1)(C)) मे किए कार्य एवं उपलब्धता को दर्शना है। यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ मे उपलब्ध आरटीई पोर्टल पर उपस्थित जानकारी के आधार पर तैयार की गयी है, जिसमे समाज में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चे, जो की इस अधिनियम का लाभ प्राप्त कर रहे, उनके शिक्षा एवं सामाजिक समावेशन के स्तर मे आये सुधार का मूल्याकन किया गया है। निम्न जानकारी के अंत मे, किए गए मूल्याकन के आधार पर कुछ सुझाव दिये गए है, जिससे मौजूदा प्रक्रियाओं किस प्रकार के सुधार किए जा सकते है, एवं अन्य प्रणालियों का निर्माण किया जा सकता है, जिसके माध्यम से शिक्षा एवं सामाजिक समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने मे और सहायता प्राप्त हो।

इस अधिनियम की स्थापना के बाद विगत 10 वर्षों में, निम्नलिखित विकास देखे गये हैं:-

- छात्रों मे से 60% छात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और 40% सामाजिक रूप से वंचित समूहों मे से हैं।
- राज्य मे MIS पोर्टल की स्थापना 2017 मे किया गया, जिसके माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया, ऑनलाइन लॉटरी प्रकिया की शुरुवात की गयी, एवं RTE से संबन्धित किसी भी समस्या का निराकरन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
- पोर्टल की स्थापना के बाद से तीन शैक्षणिक सत्रों में सीट भरने की दर में 14.5% की वृद्धि देखी गयी है। सत्र 2019-20 मे जिला बिलासपुर मे सर्वाधिक सीट एवं जिला नारायणपुर मे सबसे कम सीट निर्धारित की गयी थी। जिला महासमुंद मे सार्वधिक दाखिला कुल 85% एवं जिला बिलासपुर मे सबसे कम 35% ही दाखिला हुआ था।
- आरटीई पोर्टल पर दर्ज सख्या के आधार पर यह पाया गया है, कि प्रारंभिक कक्षाओं के छात्र उच्च कक्षाओं के छत्रों की तुलना में शैक्षणिक मूल्यांकन में बेहतर ग्रेड प्राप्त करते हैं।
- 10 शैक्षणिक सत्रों में आरटीई सीटों से छात्रों की ड्रॉपआउट दर 21.45% है।
- निजी स्कूलों में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में शिक्षा का प्रकार एक मुख्य कारण है। राज्य भर में कुल 54% छात्र अपना पाठ्यक्रम हिंदी में, 44% अंग्रेजी में और 2% द्विभाषी रूप से सीखते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र दूसरे माध्यम की तुलना में बेहतर प्रदर्शन एवं रैंक प्राप्त करते हैं।
- इस प्रावधान के तहत सभी शैक्षणिक वर्षों में बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का प्रवेश हुआ है। हालांकि, कुल छात्रों के अनुपात में लिंग अंतर 2010-11 में 10% से घटकर 2019-20 में 3% हो गया है।
- पोर्टल पर शिकायत निवारण के लिए तीन घटक प्रभावशाली है - जो की हेल्पलाइन नंबर , ईमेल व आरटीई पोर्टल है, इन तीनों से प्राप्त शिकायतो को वर्ष 2018-19 से निरंतर हल किया जा रहा है।

RTE के तहत पढ़ रहे छत्रों के लिए निर्धारित राशी का भुगतान राज्य एवं केंद्र से किया जाता है, लाभार्थी को प्राप्त होने वाली राशी मे होने वाली देरी को दूर करने के लिए पोर्टल के माध्यम से हस्तक्षेप किया गया है। सत्र 2019-20 एवं वर्तमान मे परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) द्वारा अनुमोदित राशी 30% ही थी। वर्तमान में सत्र 2020-21, मे कुल 161.5 करोड़ राशी का भुगतान राज्य स्तर से सीधे स्कूलों के अकाउंट मे किया गया है। जो की वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की लंबित राशी थी।

छत्तीसगढ़ में RTE 12(1)(c) के द्वारा इस समय कुल 3,01,317 छात्र पढ़ रहे है। राज्य के अनुसार RTE पोर्टल में कुल 6511 प्राइवेट स्कूल है, जिसमे वर्ष 2021-22 में कुल 83,006 सीट है, द्वितीय लॉटरी एवं लॉटरी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात कुल 47,382 छात्रों का स्कूल में प्रवेश हुआ है जो की RTE सीट का 53.6% ही प्रवेश हुआ है।

इस रिपोर्ट के माध्यम से, हमने इस प्रावधान के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हुए विश्लेषण किया, और पाया कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) की जड़ें कितनी गहरी हैं। यद्यपि आरटीई 12(1)(सी) के तहत पढ़ने वाले बच्चों की संख्या एवं पंजीकृत निजी विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बच्चों को आयु-उपयुक्त कक्षाओं में स्कूलों में सामना करने के लिए समर्थन, शिक्षकों की क्षमता निर्माण, पदोन्नति को बढ़ावा देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं गैर-द्विआधारी समुदायों के लिए सीटें, शिकायत निवारण में राज्य अधिकृत निकाय की सक्रिय भागीदारी, और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के अनुकूलित डेटा संग्रह और बुनियादी ढांचे का विकास, जैसा कि अधिनियम में वादा किया गया था, जैसे कार्यों की ओर राज्य को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक अगले कदम लेने होंगे। इससे सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण हस्तक्षेप के साथ राज्य को सही दिशा में ले जाने और अगले दशक को और मजबूत बनाने मे सहायता मिलेगी।

परिचय

छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना किसी भी विकासशील राज्य और देश के लिए एक अवसर और एक चुनौती है। एक अवसर क्योंकि जनसांख्यिकीय लाभांश एक देश/राज्य एक शिक्षित युवा आबादी से प्राप्त होता है, साथ ही साथ एक चुनौती जो कि राज्य की क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतियों और सामाजिक असमानताओं के मुद्दों के कारण होती है।

स्कूल/कॉलेज जाने वाली आबादी में 1 करोड़ से अधिक बच्चों वाला राज्य छत्तीसगढ़ भी ऐसी ही स्थिति में है। राष्ट्रीय औसत से नीचे नामांकन और सीखने के स्तर के साथ, विशेष रूप से कमजोर श्रेणियों (एससी / एसटी / ईडब्ल्यूएस) के बीच समावेशी पहुंच और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है। इस पर कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ द्वारा 2010 में एक सकारात्मक कार्यवाही प्रावधान - शिक्षा का अधिकार, धारा आरटीई 12 (1) (सी) को लागू करने की शुरुआत हुई ।

शिक्षा का अधिकार की धारा 12(1)(c) एक प्रावधान है जो निजी विद्यालयों में सामाजिक रूप से भेदभाव वाली श्रेणियों के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करता है। यह प्रावधान वंचित समूहों को उन विद्यालयों में मुफ्त में अध्ययन करने का अवसर देकर मुख्यधारा में शामिल करने के लिए था, जो खर्च उन बच्चों के परिवार वहन नहीं कर सकते थे। अब सरकार प्रत्येक छात्र के लिए खर्च की गई लागत का स्वामित्व ले रही थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी विद्यालय छात्रों की फीस के मुद्दे को लेकर उनके साथ कोई कोताही/कमी ना करे/ बरते, सरकार उन्हें ट्यूशन, पोशाक और किताबों की एक निश्चित लागत की प्रतिपूर्ति/अदायगी करती है।

छत्तीसगढ़ 2010 से आरटीई 12(1)(सी) के स्थापना के बाद से इस प्रावधान को लागू कर रहा है और अब यह आरटीई 12(1)(सी) को देश में सबसे अच्छी तरह से लागू करने वाले राज्यों में से एक बन गया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में आरटीई 12(1)(सी) की 10 साल की यात्रा को उजागर करना है। यह रिपोर्ट मूल्यांकन करता है कि, क्या आरटीई 12(1)(सी) का प्रावधान समावेश को बढ़ाने और सभी श्रेणियों के बच्चों में सीखने के स्तर में सुधार करने में सफल रहा है। आरटीई 12(1)(सी) 2010 में एक ऑफ़लाइन प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ और पिछले 3.5 वर्षों में एक ऑनलाइन प्रक्रिया में चला गया है। इसलिए, यह रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि इस बड़े बदलाव के साथ-साथ ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में अन्य पुनरावृत्तियों ने इस प्रावधान को कैसे प्रभावित किया है। अंत में, हमारे विश्लेषण के आधार पर हम सुझाव देते हैं कि वर्तमान प्रक्रियाओं में कैसे सुधार किया जाए और अन्य प्रणालियों का निर्माण किया जाए जिसके माध्यम से समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

राज्य जनसांख्यिकी

छत्तीसगढ़ भारत में सबसे हाल के बने हुए राज्यों में से एक है और फिर भी इसकी कुशल नौकरशाही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शहरी नियोजन के लिए पहले ही सराहना की जा चुकी है। 28 जिलों में विभाजित जिसमे की 5 संभाग में शामिल हैं और 7 राज्यों की सीमा से लगे हुए हैं । छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से, भाषाई और सांस्कृतिक रूप से सबसे विविध राज्यों में से एक है। इसकी लगभग 3 करोड़ की आबादी प्रमुख रूप से एसटी (31%), ओबीसी (46%) और एससी (14%) से संबंधित है, और इसके लोग 7 क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं।

यह एक जनसांख्यिकीय रूप से युवा राज्य भी है, जिसकी आबादी का लगभग एक तिहाई लोग विद्यालय और कॉलेज जाने वाले आयु वर्ग से है। यदि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका जैसी बुनियादी सेवाओं तक गुणवत्ता पहुचाना सुनिश्चित कर सकता है तो छत्तीसगढ़ में बड़े जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने की अपार संभावनाएं हैं।

हालांकि, छत्तीसगढ़ के शिक्षा संकेतक बताते हैं कि इस क्षेत्र में राज्य को अभी लंबा सफर तय करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 70.3% जनसंख्या साक्षर है। इसमें पुरुष साक्षरता 80.3% है जबकि महिला साक्षरता 59.6% है। 70% बच्चे सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, जबकि 30% निजी विद्यालयों में जाते हैं और बाद का आंकड़ा बढ़ रहा है। निजी और सार्वजनिक विद्यालयों में औसत नामांकन 95.5% है। यदि हम 15-16 आयु वर्ग पर ध्यान केन्द्रित करें तो यह आंकड़ा गिरकर 89% हो जाता है। ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 6-10 आयु वर्ग में नामांकन पिछले 2 वर्षों में 98.5% से घटकर 96.9% हो गया है। 2018 तक, छत्तीसगढ़ अंकगणित और पढ़ने के स्तर में राष्ट्रीय औसत से नीचे है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार, नामांकन अनुपात में जातिवार अंतर भी हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों का प्राथमिक विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम नामांकन अनुपात है। उच्च-मध्य और उच्च विद्यालयों के स्तर पर अनुपात बेहतर है।

आरटीई 12(1)(सी)

अधिनियम अपने सार में सामाजिक समावेश और सभी वंचित बच्चों के लिए समान अवसर के प्रावधान में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में योगदान करता है। बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों (डीजी) के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस और वंचित समूहों के मानदंड राज्य के मानदंडों के अनुसार परिभाषित किए गए हैं। जिन छात्रों के परिवार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) आते हैं या जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, उन्हें ईडब्ल्यूएस माना जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 40% विकलांग बच्चों, वन अधिकारों के प्रमाण पत्र वाले माता-पिता या आदिवासी समूहों से संबंधित को वंचित समूहों से संबंधित माना जाता है।

छत्तीसगढ़ ने 2010 में आरटीई धारा 12(1)(सी) को अपनाया है जिसका लाभ कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए है। राज्य ने 2019 में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए अधिनियम की पहुंच में संशोधन किया है। प्रवेश स्तर की कक्षाओं को नर्सरी, किंडरगार्टन, और कक्षा 1 के रूप में परिभाषित किया गया है । 3 से 6½ वर्ष की आयु के बच्चे प्रवेश के लिए पात्र हैं। आरटीई पोर्टल के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 83006 सीटों के साथ पोर्टल पर पंजीकृत 6511 गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय हैं।

2017 से, राज्य लॉटरी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने और प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर रहा है। पोर्टल अपने कंप्यूटर आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से काम करता है। एमआईएस के मॉड्यूल विद्यालय पंजीकरण, छात्र पंजीकरण, लॉटरी, दस्तावेज़ सत्यापन, छात्र ट्रैकिंग और प्रतिपूर्ति/ अदायगी हैं। आवेदकों की सहायता करने और शिकायतों के समाधान के लिए पोर्टल पर एक हेल्पलाइन प्रदान की गई है।

आंकड़ो का विश्लेषण

2010 से छत्तीसगढ़ में आरटीई 12 (1) (सी) के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए सरकारी वेबसाइटों और विभिन्न रिपोर्टों से उपलब्ध आंकड़ा का उपयोग किया जा सकता है। आंकड़े पर नजर डालें तो 2015 को छोड़कर पिछले कुछ वर्षों में आरटीई सीटों के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में छात्रों के प्रवेश की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, और सत्र 2010-11 में सबसे कम।

ऑनलाइन एम.आई.एस. पोर्टल की स्थापना के बाद आरटीई 12 (1) (सी) प्रवेश में काफी वृद्धि हुई है। जमीनी स्तर पर विभिन्न भागीदार संगठनों के माध्यम से, माता-पिता और समुदायों के बीच अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाई। पोर्टल की स्थापना के बाद से तीन शैक्षणिक सत्रों में सीट भरने के दर में 14.5% की वृद्धि के साथ, छात्रों के नामांकन में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि देखी गई है। राज्य के 28 जिलों में से 2019-20 में सबसे ज्यादा आर.टी.ई. सीट बिलासपुर में और सबसे कम नारायणपुर में दर्ज की गई. सीट भरने की दर में महासमुंद ने 85% के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है और विडंबना यह है कि बिलासपुर एक ही सत्र में 35% सीटों के साथ सूची में सबसे नीचे है। 2015 में गिरावट को छोड़कर, प्रवेश की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है।

राज्य के 28 जिलों में से 2019-20 में सबसे ज्यादा आरटीई सीट बिलासपुर एवं सबसे कम नारायणपुर मे पंजीकृत हुए, जो कि जिलों मे निजी स्कूलों की संख्या का एक कारक है। इसी सत्र मे सीट भरने की दर में महासमुंद 85% के साथ सबसे ऊपर है और विडंबना यह है कि, बिलासपुर में 35% सीटों के साथ सूची में सबसे नीचे है।

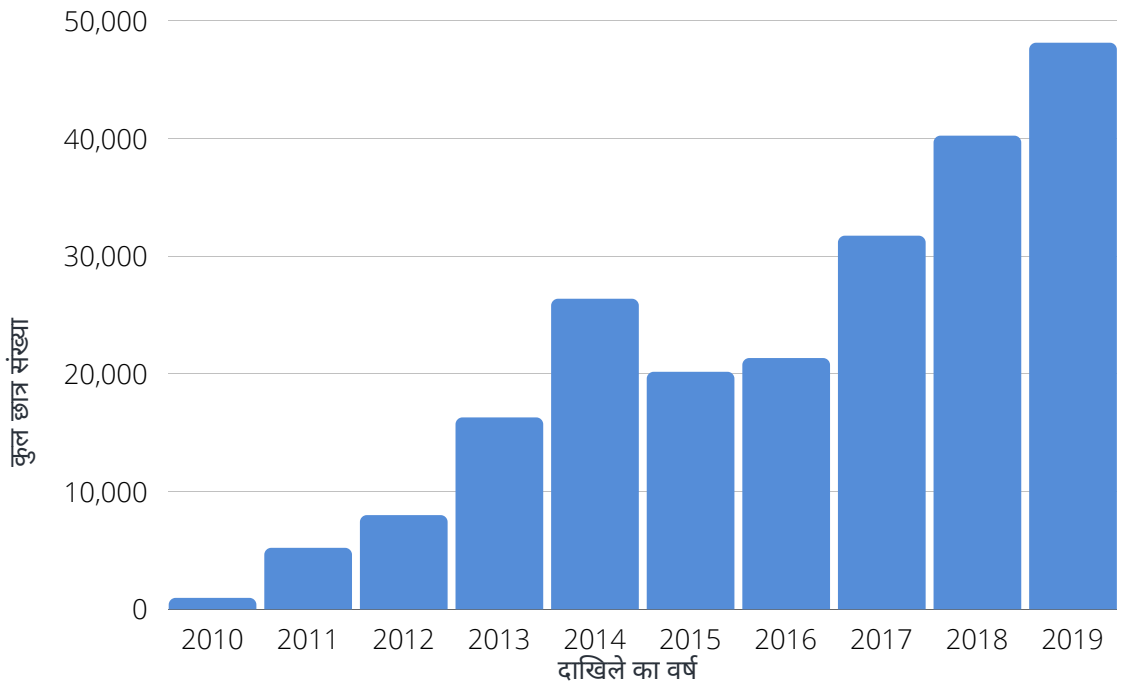

ग्राफ 1: सत्र-अनुसार, राज्य में दाखिल कुल छात्रों की संख्या

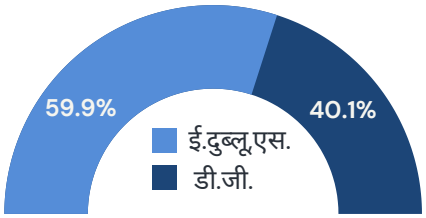

ग्राफ 2: वर्ग अनुसार दाखिले का प्रतिशत

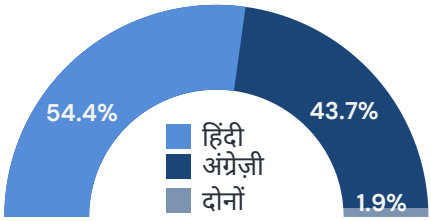

ग्राफ 3: शिक्षण भाषा अनुसार दाखिले का प्रतिशत

(ग्राफ 2) भर्ती हुए छात्रों मे 59.9% छात्र आर्थिक रूप से एवं शेष 40.1%कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचितों समूह (डीजी)से हैं।

(ग्राफ 3) 54.4% छात्र हिन्दी पाठ्यक्रम और 43.7% छात्र अंग्रेजी, जबकि 1.9% छात्र द्विभाषी रूप से सीखते हैं।

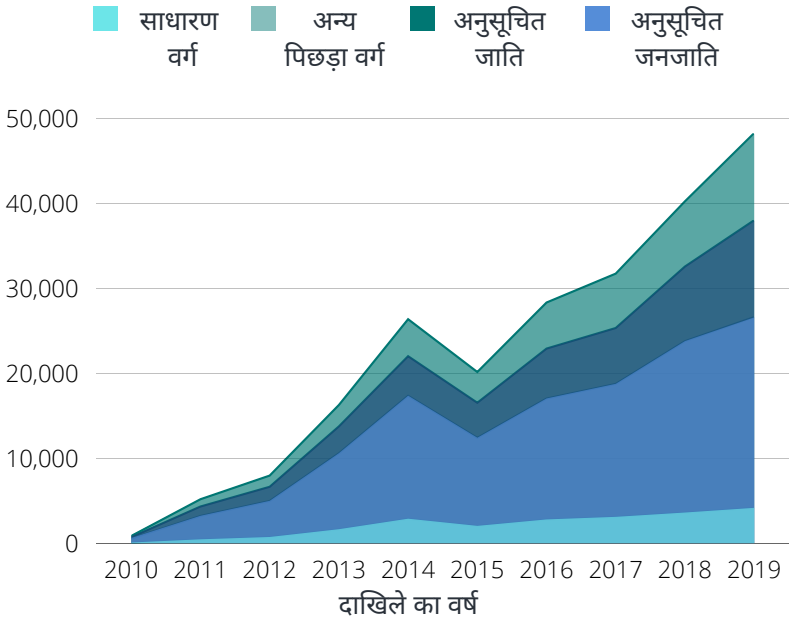

ग्राफ 4: सत्रानुसार वर्ग-अनुसार छात्रों की संख्या

(ग्राफ 4) आरटीई सीटों में नामांकित सभी छात्रों में से सबसे अधिक संख्या ओबीसी समुदाय, उसके बाद क्रमशः एससी, एसटी से दर्ज की गई है। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छात्रों का नामांकन पिछले 10 वर्षों में सबसे कम दर्ज किया है ।

यहाँ आरटीई सीटों की संख्या में वर्ष दर वर्ष बढ़ोतरी हुई है।सीटे भरने की दर कुल सीटों एवं दर्ज छात्रों के 25% उपलब्ध मार्जिन का अनुपात है। दर्ज संख्या पिछले तीन वर्षों में लगभग 50% से बढ़कर 65% हो गई है (ग्राफ-5)। सत्र 2020-21 मे सभी जिलों में से 27 जिलें अपनी परिपक्व अवस्था मे पहुचे है, अर्थात सभी जिलों मे 50% से अधिक सीटों का आबंटन हुआ है, केवल जिला बिलासपुर 46.32% आबंटन हुआ है। (तालिका 2)।

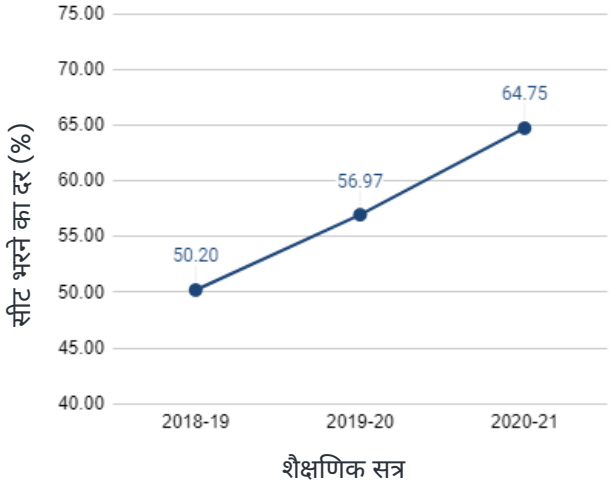

ग्राफ 5: विगत पांच वर्षों में आर.टी.ई. सीट्स भरने का दर

शैक्षणिक सत्र	आर.टी.ई. सीट्स	भरी हुई सीटें	सीट भरने का दर (%)
2018-19	80109	40216	50.20
2019-20	84468	48119	56.97
2020-21	81356	52676	64.75

तालिका 1: विगत तीन वर्षों में आर.टी.ई. सीट्स भरने का दर एवं सीटों की संख्या

जिला का नाम	सीट भरने का दर 2019-20	2020-21	जिला का नाम	सीट भरने का दर 2019-20	2020-21
रायपुर	0.42	0.57	सक्ती	0.62	0.73
बिलासपुर	0.35	0.46	सुरजपुर	0.75	0.55
दुर्ग	0.46	0.64	सरगुजा	0.78	0.71
जांजगीर-चाम्पा	0.72	0.63	बलरामपुर	0.72	0.73
कोरबा	0.49	0.76	जशपुर	0.54	0.61
राजनांदगांव	0.54	0.61	बेमेतरा	0.71	0.79
बलौदा बाजार	0.68	0.77	गरियाबंद	0.44	0.71
रायगढ़	0.79	0.73	कांकेर	0.55	0.58
मुंगेली	0.65	0.87	बालोद	0.78	0.57
महासमुंद	0.71	0.87	कोंडागांव	0.70	0.68
कोरिया	0.52	0.84	बीजापुर	0.66	0.52
धमतरी	0.78	0.83	दन्तेवाड़ा	0.71	0.62
कवर्धा	0.85	0.78	सुकमा	0.63	0.72
बस्तर	0.82	0.52	नारायणपुर	0.77	0.70

तालिका 2: सत्र 2019-20 और 2020-21 में जिलेवार आरटीई सीटों की भरण दर

सत्र 2010 से लड़कों और लड़कियों की प्रवेश संख्या मे वृद्धि हुई है (ग्राफ 6)।आंकड़ों से पता चलता है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों का दाखिलाअधिक हो रहा है। 14 वैसे छात्रों को प्रवेश दिया गया है जो ऑनलाइन पोर्टल के आगमन के बाद से खुद को गैर-बाइनरी के रूप में पहचानते हैं। आवेदन प्रक्रिया में लिंग श्रेणी के रूप में 'अन्य' को शामिल करना सामाजिक समावेशन की दिशा में एक कदम है।

2011 की जनगणना के अनुसार, छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर में 20.1% लिंग अंतर देश के औसत 16.3% से अधिक है। नामांकन में अंतर इसके लिए एक योगदान का कारक हो सकता है।

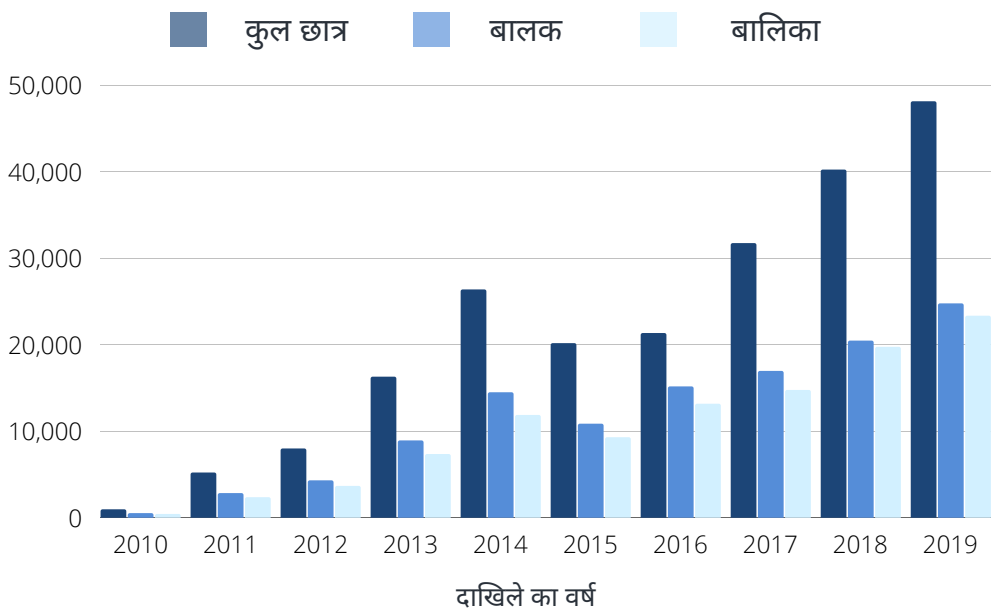

ग्राफ 6: प्रवेश वर्ष के अनुसार छात्रों का लिंगवार वितरण

पिछले 2 शैक्षणिक वर्षों में आरटीई प्रवेश के प्रारंभिक वर्षों की तुलना में कुल नामांकन में लिंग अंतर का अनुपात कम हुआ है। 2010-11 के पहले बैच में यह अंतर 9.71% दर्ज किया गया था। 2019-20 के बैच में यह अंतर 3% से भी कम हो गया है। छात्रों के उपस्थिति रिकॉर्ड(अभिलेख) में अंतर स्पष्ट है। सभी जिलों में लड़कियों की तुलना में लड़के लगातार विद्यालय जाते हैं।

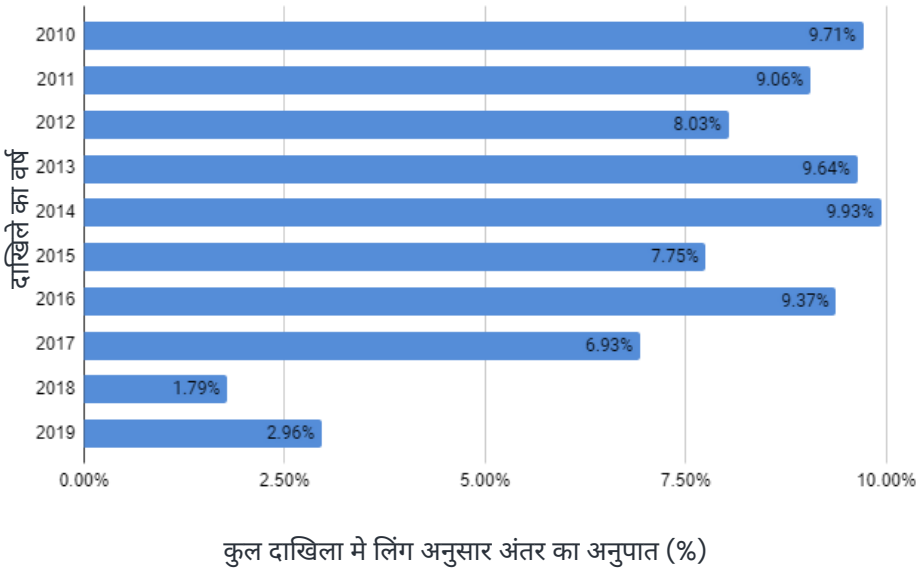

ग्राफ 7: वर्षवार लड़कों और लड़कियों की नामांकन संख्या में अंतर

राज्य में 10 शैक्षणिक सत्रों में आरटीई सीटों से छात्रों की ड्रॉपआउट (विद्यालय छोड़ना) दर 21.45% है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और सक्ती में हैं। ये भी कम छात्र नामांकन वाले जिले हैं जहां अधिकांश छात्र वंचित समूहों से संबंधित हैं।

चिंताजनक है कि 9688 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों में प्रवेश पाने के बाद भी विद्यालय में दाखिला नहीं लिया। 19 जिलों ने पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में 2020-21 में आरटीई के अंतर्गत सीटें हासिल करने के बाद विद्यालयों में शामिल नहीं होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि दिखाई है। 19 जिलों में दाखिला नहीं लेने वाले अधिकांश छात्र ओबीसी समुदाय से हैं। अपवाद में बलरामपुर, कोंडगांव और सरगुजा हैं जहां ऐसी वृद्धि अनुसूचित जनजाति से और मुंगेली में अनुसूचित जाती से हुई है।

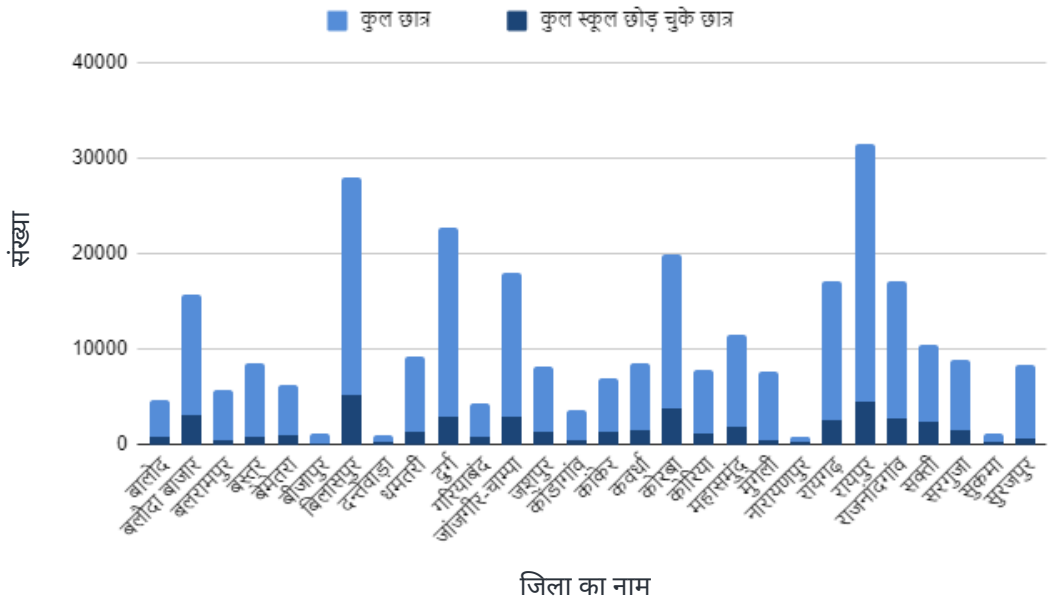

ग्राफ 8: जिला अनुसार विगत 10 वर्षो मे स्कूल मे दाखिल और स्कूल छोड़ चुके छात्रों की जानकारी

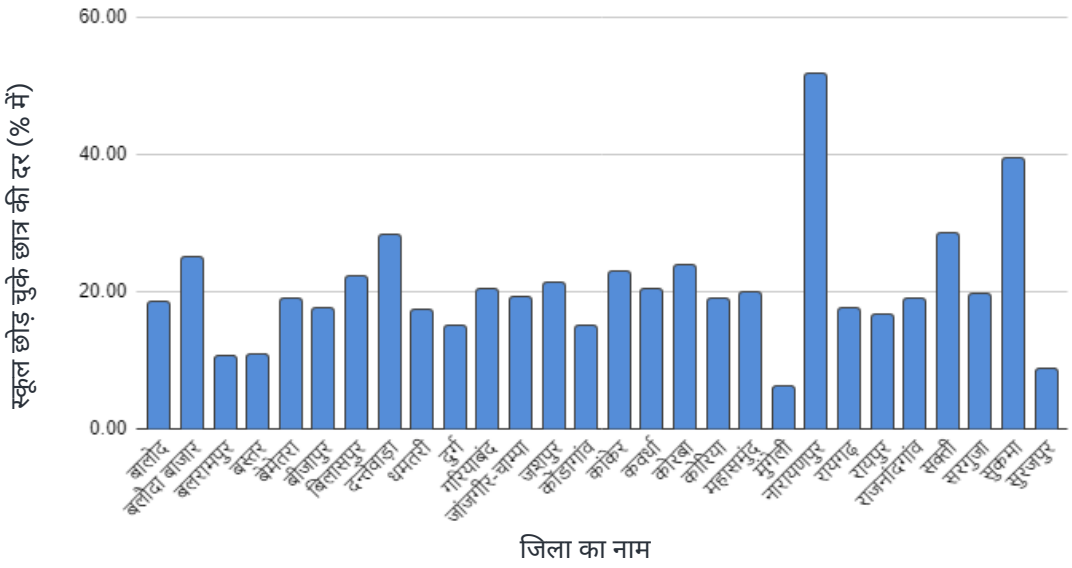

ग्राफ 9: जिला अनुसार विगत 10वर्षो मे स्कूल छोड़ चुके छात्रों की जानकारी

जैसा कि ग्राफ से पता चलता है, जैसे-जैसे छात्र उच्च ग्रेड तक पहुंचता है, विद्यालय छोड़ने की संभावना कम हो जाती है। विद्यालय में प्रवेश के एक साल बाद कक्षा 2 में विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है। यह एक बच्चे के प्रवेश के प्रारंभिक वर्षों में आवश्यक अनुकूल वातावरण का सूचक है। कक्षा 10 में विद्यालय छोड़ने की दर सबसे कम है। शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षा 10 में पहुंचने वाले केवल 42 छात्र कक्षा 2 में 7531 की तुलना में विद्यालय से ड्रापआउट हुए हैं।

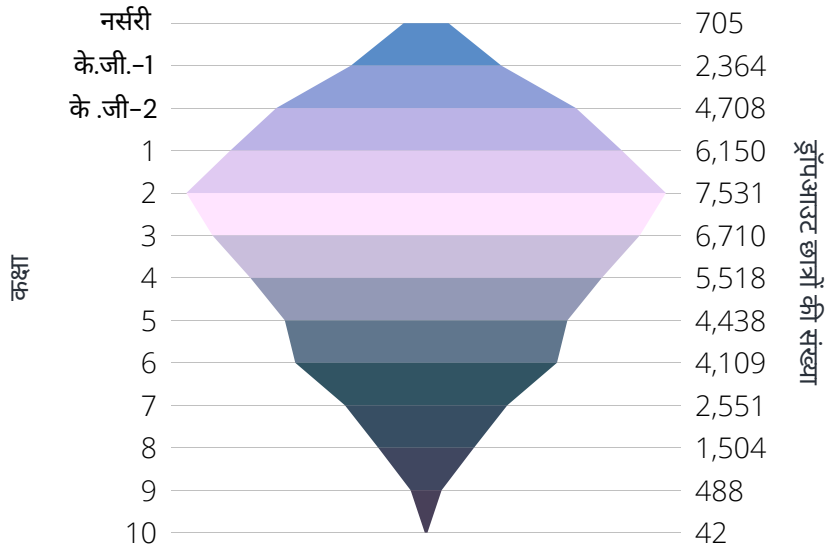

ग्राफ 10: राज्य में प्रत्येक कक्षा मे स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) वाले छात्रों की संख्या

छात्र के प्रदर्शन का विश्लेषण रायपुर और बिलासपुर में छात्रों द्वारा प्राप्त श्रेणी के आधार पर किया जा सकता है जहां छात्र नामांकन की संख्या अधिकतम है। सामान्य तौर पर, जिन छात्रों का सीखने का माध्यम हिंदी है, वे अंग्रेजी में पढ़ाए जाने वाले छात्रों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उच्च कक्षाओं की तुलना में प्रारंभिक कक्षाओं में छात्र बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करते हैं। हैरानी की बात यह है कि कक्षा में छात्रों की संख्या का छात्रों के प्रदर्शन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। छात्रों की संख्या 50 से कम या अधिक होने पर भी रैंक समान श्रेणी में रहती है। प्राथमिक कक्षाओं में, रायपुर और बिलासपुर में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बिलासपुर में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में कम अंक प्राप्त किए है।

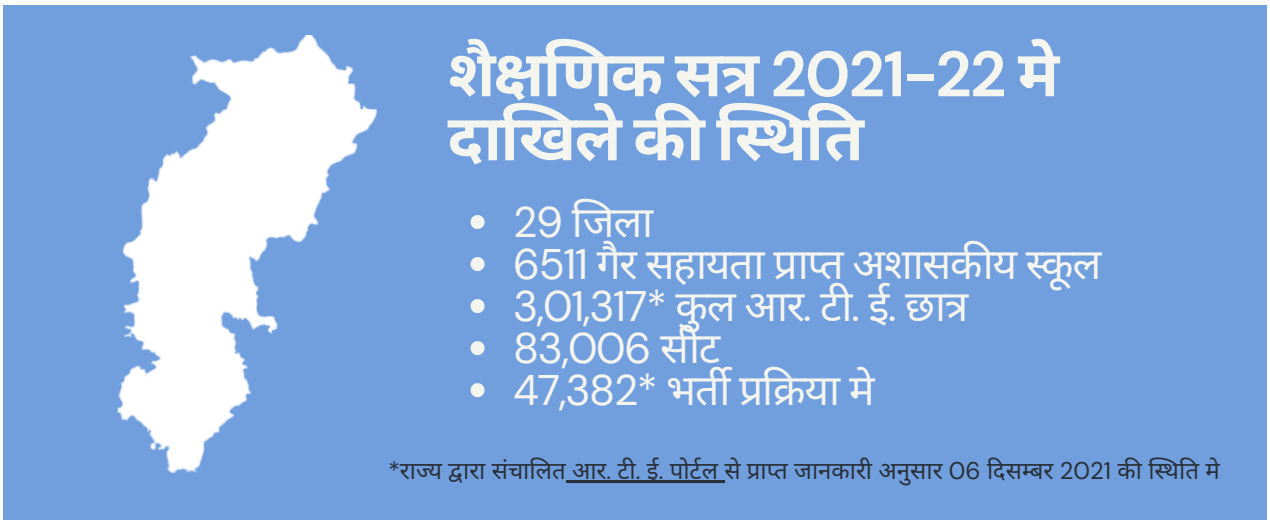

अन्तर्दृष्टि

1

नामांकन, उपस्थिति और प्रदर्शन में लिंग अंतर:

आंकड़ों के मुताबिक आरटीई के तहत दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या हमेशा लड़कों से कम रही है। हालांकि कुछ वर्षों में यह अंतर काफी कम हो गया है, खासकर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दाखिला शुरू होने के बाद से। इसके विपरीत ही सभी जिलों में शैक्षणिक प्रदर्शन में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। सामान्य तौर पर, छात्रों की उपस्थिति 80-85% के दायरे में आती है। जेंडर गैप (लैंगिक अंतर) उपस्थिति पर प्रतिबिंबित नहीं हुआ है क्योंकि यह नामांकन और शैक्षणिक प्रदर्शन पर है।

2

प्राथमिक कक्षाओं में ड्रॉपआउट

शैक्षणिक वर्ष के दौरान विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की संख्या पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों में लगातार 350 से नीचे रही है, जो कि 1% से भी कम है। यह 10 वर्षों में औसत ड्रॉपआउट दर 21.45% की तुलना में बहुत बड़ी कमी है । लेकिन प्रवेश के बाद कक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों की संख्या में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में 2019-20 की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। इसका अंदाजा COVID-19 महामारी के प्रभावों से लगाया जा सकता है। देशव्यापी तालाबंदी के दौरान विद्यालयों के बंद होने का आगामी शैक्षणिक वर्ष में भी विद्यालय छोड़ने की दर पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। यह देखते हुए कि लॉटरी एल्गोरिथम विद्यालय से दूरी, छात्र की उम्र और पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेजों जैसे कारकों का सख्ती से पालन करता है, इंटरनेट, स्मार्टफोन और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की कमी के परिणामस्वरूप आगामी वर्ष में संघर्षण दर को बढ़ा सकते हैं ।

3

शैक्षणिक प्रदर्शन पर भाषा का प्रभाव:

छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में उनके शिक्षा के माध्यम के संबंध में एक स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। आंकड़ा दिखाता है, कि जब शिक्षा का माध्यम हिंदी है तो छात्र बेहतर प्रदर्शन करते हैं अंग्रेजी की तुलना में। इस विभाजन को प्राथमिक स्तर पर ही सुलझना होगा ताकि छात्रों के उच्च कक्षा तक पहुंचने पर उनके सीखने के स्तर में तेजी आए।

4

केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप:

सत्र 2017 से राज्य के लिए ऑनलाइन आरटीई पोर्टल प्रवेश प्रक्रिया में एक वरदान रहा है। एमआईएस पोर्टल से लॉटरी प्रणाली में स्पष्टता और दक्षता आई है। नामांकन बढ़ाने के अलावा, यह प्रवेश के पूरे चक्र को पारदर्शी और कुशल रखता है। इसके माध्यम से, माता-पिता अपनी पसंद के क्रम में उपलब्ध विद्यालयों में से चयन कर सकते हैं। नोडल अधिकारियों की भागीदारी से कार्य को विभिन्न स्तरो पर विभाजित किया गया एवं दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।

सभी हितधारकों के शिकायत निवारण के लिए पोर्टल पर शिकायत पंजीकरण, हेल्पलाइन नंबर एवं ईमेल का विकल्प बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से माता-पिता को प्रवेश प्रक्रिया से संबन्धित सभी प्रश्नों को हल प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया है। भर्ती प्रक्रिया के समय, शिकायत निवारण संबन्धित कॉल मुख्य रूप से भर्ती समय-सीमा, तकनीकी मुद्दों और अन्य मुद्दों से संबन्धित प्रश्नों को संबोधित करते हैं। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का विकल्प है जहां शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज कर सकते है, साथ ही समाधान की स्थिति भी देख सकते है। अक्टूबर 2021 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2018-19 से एमआईएस पोर्टल पर 4173 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 2763 को 66.2% की पूर्णता दर के साथ हल किया गया है।

अक्टूबर 2021 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत 3 वर्षों में ईमेल पर 8500 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 100 से कम शिकायत लंबित है। हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त कॉलों की पहचान की जाती है और उन्हें आरटीई प्रवेश चक्र के विभिन्न चरणों में वर्गीकृत किया जाता है | जैसे कि आवेदन, लॉटरी, प्रवेश और विद्यालय में ठहराव। अक्टूबर 2021 के अनुसार, हेल्पलाइन नंबर मे कुल 27222 मिस्ड कॉल मिले, जिनमें से वर्तमान सत्र के 8993 विशिष्ट कॉल हैं। जिनमे से 58% कॉल को कॉलिंग टीम के द्वारा संबोधित किया जा चुका है, और शेष प्रगति पर हैं।

5

प्रतिपूर्ति:

प्रत्येक 12 (1) (सी) सीट के लिए खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा विद्यालयों को की जाती है। विगत 3 वर्षो मे लाभार्थी को प्राप्त होने वाली प्रतिपूर्ति राशी मे होने वाली देरी को सुधारने और राशी के हस्तांतरण में लगने वाले समय को कम करने के लिए पोर्टल के माध्यम से हस्तक्षेप हुआ है। प्रतिपूर्ति राशी का हस्तांतरण केंद्र के द्वारा राज्य को, राज्य से जिले और जिले से विद्यालयों को की जाती है। प्रतिपूर्ति हस्तांतरण की स्थिति को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकता है जिससे प्रतिपूर्ति की जानकारी की पारदर्शिता बढ़ी है।

पीएबी बैठक के रिपोर्ट के अनुसार, आरटीई 12 (1) (सी) के तहत प्रवेश के लिए किए गए खर्च की प्रस्तावित प्रतिपूर्ति राशी और अंतिम स्वीकृत परिव्यय के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। 2019-20 में विद्यालयों द्वारा किए गए खर्च का 29.15% ही प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृत किया गया था। पीएबी द्वारा 2020-21 में प्रस्तावित प्रतिपूर्ति राशि लगभग 92.7 करोड़ रुपये है, जिसमें 2014-15 से 2019-20 तक के शैक्षणिक सत्र के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों का खर्च शामिल है | राज्य भर में शैक्षणिक सत्र 2014-15 से 2019-20 के दौरान किए गए खर्च के लिए 161.5 करोड़ की मंजूरी 2020-21 में दे दी गई है।

अनुशंसा

यहां कुछ अनुशंसा दी गई हैं जो आने वाले दशक में आरटीई 12 (1) (सी) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति में सुधार कर सकती हैं।

प्रतिपूर्ति

हालांकि प्रतिपूर्ति प्रक्रिया मे पारदर्शिता बढ़ी है, फिर भी स्कूल के खातो मे होने वाले देरी कम नहीं हुई है। इससे निजी स्कूलों पर आर्थिक बोझ मे वृद्धि होती है और स्कूल प्रबंधन के हित मे होने वाली वृद्धि मे बढ़ा उत्पन्न कर सकती है।

- प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए, एक समयरेखा निर्धारित होनी चाहिए, जिससे स्कूल के लिए हर साल प्रक्रिया पूरी करने और ट्रैकिंग करने और समस्या का निवारण कार्य को सुलभ बनाया जा सके।
- अपेक्षा: स्कूलों को भी पता होना चाहिए कि राशी की प्रतिपूर्ति होने मे जाँच करने मे कुछ महीनों का समय लगता है और इसलिए उन्हें कुछ महीनों की देरी की उम्मीद करनी चाहिए। साथ ही स्कूल द्वारा गलत जानकारी देने पर भी प्रतिपूर्ति मे देरी होती है, इसलिए यह स्कूल की भी ज़िम्मेदारी बनती है की वे सही समय मे सही जानकारी दे एवं डीईओ अधिकारी भी राज्य के पास प्रतिपूर्ति की जानकारी देने के पूर्व पूर्ण जाँच करके ही भेजे।
- प्रतिपूर्ति कार्य का पीएफएमएस में बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योकि यह केंद्र-राज्य लेनदेन की पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा और अक्षमताओं को कम करेगा जो की प्रतिपूर्ति मे होने वाली बाधाओं को कम करेगा।
- प्रति छात्र लागत निर्धारित करने के लिए राज्य मे एक समिति/संस्था का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में प्रति छात्र लागत मे बहुत मामूली परिवर्तन हुए हैं (और ट्यूशन के लिए कोई नहीं)। गठित होने वाली समिति मे सरकारी, निजी स्कूलों, और के हितधारक माता-पिता आदर्श होंगे।

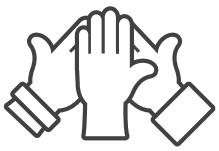

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और गैर-बाइनरी समुदायों के लिए सामाजिक समावेशन

सीटों के आरक्षण में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और गैर-बाइनरी समुदाय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छात्र शामिल हो सकते हैं। दिल्ली ने 25% के भीतर 3% कोटा प्रदान करके इसे व्यवहार में लाया गया है। ओडिशा और उत्तराखंड में भी पार्श्व आरक्षण है। इसके लिए विद्यालय के बुनियादी ढांचे के अद्यतन, शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन शिक्षक सत्र और छात्र समुदाय के बीच एक सह-मौजूदा मानसिकता को पोषित करने के लिए जागरूकता सहित पूर्व कदम उठाने की जरूरत है।

इसके अलावा, वंचित समूहों के रूप में प्रवेश चक्र में गैर-बाइनरी समुदाय को विशेष रूप से जोड़ने से नामांकन में वृद्धि होती है और उन बच्चों के लिए बेहतर अवसर प्रदान होते हैं। लिंग का चयन करते समय ऑनलाइन पोर्टल पर "अन्य" विकल्प जोड़ना इस दिशा में एक स्वागत योग्य संकेत है।

पोर्टल के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ो का अच्छी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता है। हमें संग्रहीत आंकड़ो को अनुकूलित रूप से उपयोग करने के तरीके खोजने की भी आवश्यकता है।

- मौजूदा वार्षिक आंकड़ो के संग्रह के अलावा छात्र उपस्थिति और प्राप्त श्रेणी, लघु गुणात्मक अध्ययन कर स्कूलों में प्रवेश के बाद छात्र के ड्रॉपआउट के कारणों को समझने में मदद मिल सकती है।
- नोडल अधिकारीयों के द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न विद्यालयों के लिए स्पॉट-चेक भी होना चाहिए जिससे की ऑनलाइन संग्रहीत आंकड़ो की सत्यता की जांच सुनिश्चित की जा सके।
- स्कूल पंजीकरण के स्कूल मे पेपर मे उपस्थित आंकड़ो को एवं पोर्टल मे मौजूद आंकड़ो को एकीकृत करने की आवश्यकता है, जैसे कि सभी निजी, गैर-सहायता प्राप्त, गैर-अल्पसंख्यक मान्यता प्रमाण पत्र और यू-डाइस कोड प्राप्त करने वाले स्कूलों को पोर्टल में स्वतः नामांकित होना, और एक संदेश के माध्यम से इस हेतु जानकारी प्राप्त होना चाहिए। फिर स्कूल के लिए सभी विवरण पहले से भरे जा सकते हैं, जिससे जानकारी मे दोहराव को कम कर कार्य की दक्षता को बढ़ाया जा सके।
- स्कूल से एक ही जानकारी कई बार एकत्र नहीं किया जाना चाहिए। स्कूल की समस्त जानकारी एक ही समय मे एवं एक ही जगह पर एकत्र किया जाना चाहिए, और उनका उपयोग आवश्यकता अनुसार APIs के माध्यम से विभिन्न पोर्टल पर किया जाना चाहिए।

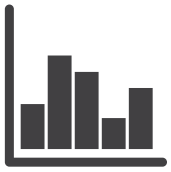

अनुसंधान और आंकड़ा प्रबंधन

राज्य मे, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) द्वारा आरटीई अधिनियम के तहत एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करना चाहिए, जिसके माध्यम से आरटीई से संबंधित सभी मुद्दों के लिए शिकायत निवारण में सक्रिय रूप से शामिल हो सके। कर्नाटक और दिल्ली सक्रिय एससीपीसीआर के 2 उदाहरण हैं,जो सक्रिय रूप से शिक्षा विभाग के साथ शामिल हो कर माता-पिता और बच्चों के मुद्दों को सुलझाने में मदद कर रहे है।

समस्या निवारण एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

विद्यालय न जाने वाले छात्रों की जानकारी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है।

- राज्य को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो उसके पास पहले से हैं, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए विशेष माध्यम के स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि इन बच्चों को भी स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में वापस लाया जा सके।
- अंतरराज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास के कारण शिक्षा जारी न रखने में कठिनाई का समाधान रिक्त आरटीई सीटों से प्राप्तकर्ता राज्य / शहर की ओर सीट स्थानांतरित करके किया जा सकता है।
- शिक्षकों को उम्र सापेक्ष कक्षाओं में भर्ती बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग पाठ्यक्रम के साथ पढ़ाने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए उम्र सापेक्ष विशेष प्रशिक्षण

निष्कर्ष

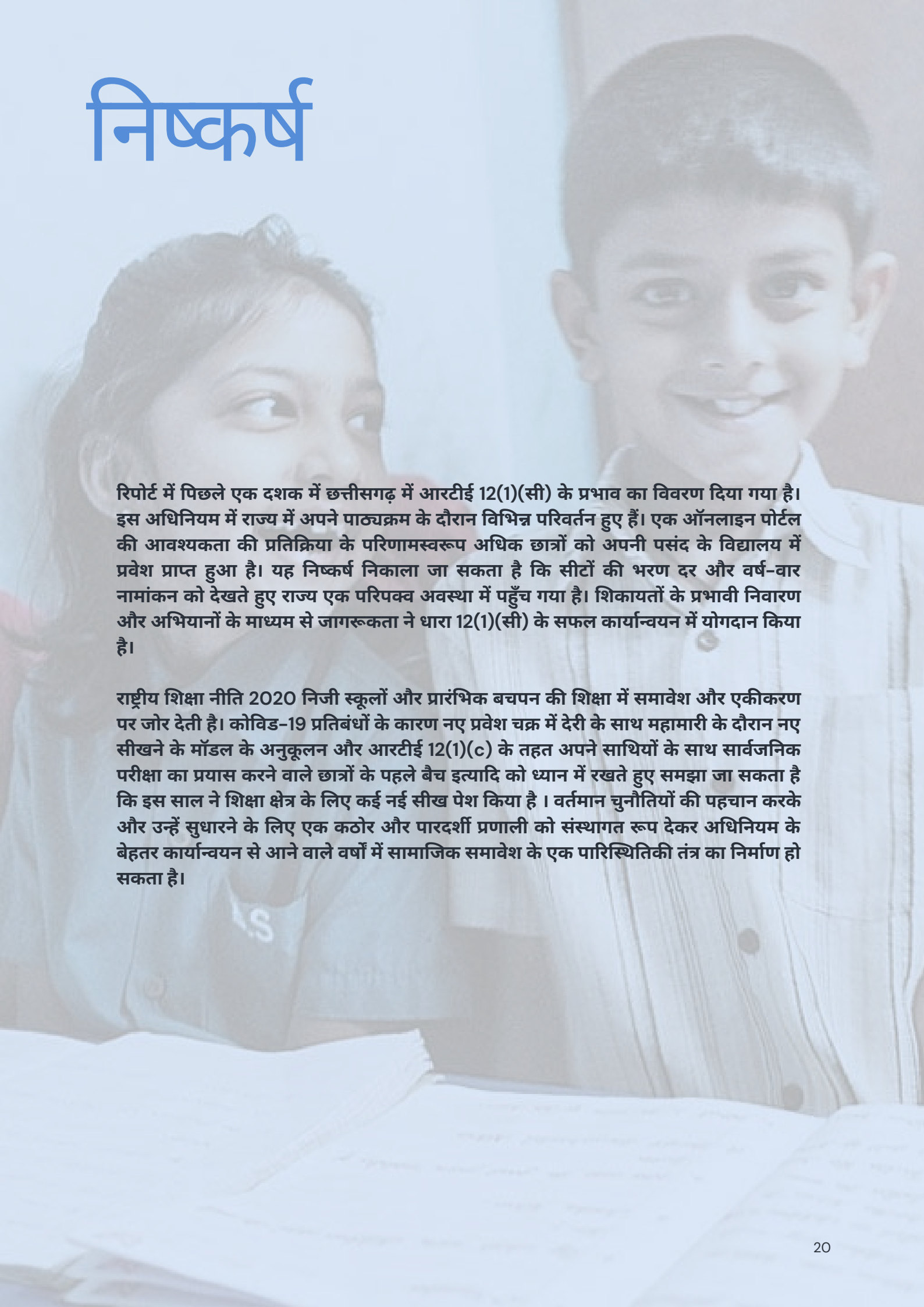

रिपोर्ट में पिछले एक दशक में छत्तीसगढ़ में आरटीई 12(1)(सी) के प्रभाव का विवरण दिया गया है। इस अधिनियम में राज्य में अपने पाठ्यक्रम के दौरान विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। एक ऑनलाइन पोर्टल की आवश्यकता की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप अधिक छात्रों को अपनी पसंद के विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हुआ है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीटों की भरण दर और वर्ष-वार नामांकन को देखते हुए राज्य एक परिपक्व अवस्था में पहुँच गया है। शिकायतों के प्रभावी निवारण और अभियानों के माध्यम से जागरूकता ने धारा 12(1)(सी) के सफल कार्यान्वयन में योगदान किया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निजी स्कूलों और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में समावेश और एकीकरण पर जोर देती है। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण नए प्रवेश चक्र में देरी के साथ महामारी के दौरान नए सीखने के मॉडल के अनुकूलन और आरटीई 12(1)(c) के तहत अपने साथियों के साथ सार्वजनिक परीक्षा का प्रयास करने वाले छात्रों के पहले बैच इत्यादि को ध्यान में रखते हुए समझा जा सकता है कि इस साल ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कई नई सीख पेश किया है । वर्तमान चुनौतियों की पहचान करके और उन्हें सुधारने के लिए एक कठोर और पारदर्शी प्रणाली को संस्थागत रूप देकर अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन से आने वाले वर्षों में सामाजिक समावेश के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो सकता है।

संदर्भ

- Bhattacharjee, Malini et al, RTE Grievance Redress in Karnataka, 2014, https://www.jstor.org/stable/24479609
- Government of India, Educational Statistics at a glance, 2018, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/ESAG-2018.pdf
- Government of India, National Education Policy draft, 2019, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf
- Government of India, Right To Education Act, 2009, http://eoc.du.ac.in/RTE%20-%20notified.pdf
- Government of India, Right of Children to free and compulsory education (Amendment) bill, 2018, https://www.education.gov.in/en/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/rte_2019.pdf
- Government of National Capital Territory of Delhi, Circular, 2019 http://www.edudel.nic.in/upload/upload_2019_20/202_207_dt_04072019.pdf
- Kumar, Meghna, Case study on the Grievance Redressal process set out in the Right to Education Act, 2010, http://www.prathamdelhi.org/pdf/Case%20Study%20on%20the%20Griveance%20Redressal%20process%20in%20RTE%20Act.pdf
- Pankaj Ashok, et al, Status of and Barriers to School Education in Chhattisgarh, March 2018, http://csdindia.org/wp-content/uploads/2018/04/Chhattisgarh-Project-Report-2018.pdf
- Pratham, Annual Status of Education Report (ASER), Chhattisgarh Rural, 2020, http://img.asercentre.org/docs/ASER%202021/ASER%202020%20wave%201%20-%20v2/state%20estimates/chhattisgarh.pdf
- Pratham, Annual Status of Education Report (ASER), 2018, https://img.asercentre.org/docs/ASER%202018/Release%20Material/aserreport2018.pdf
- Pratham, Annual Status of Education Report (ASER), 2020, http://img.asercentre.org/docs/ASER%202020/ASER%202020%20REPORT/aser2020fullreport.pdf
- Project Approval Board Minutes, Ministry of Education, https://www.education.gov.in/en/project-approval-board, data retrieved in September 2021
- School Education Department, Chhattisgarh, RTE portal, http://eduportal.cg.nic.in/RTE/
- Ministry of Home Affairs, Government of India, 2011, https://censusindia.gov.in/2011-common/censusdata2011.html

आरटीई अभियान

राज्य में अधिनियम के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयासों की झलक।
ऊपर आरटीई ऑनलाइन पोर्टल का स्क्रीनशॉट है। स्कूलों और समुदायों में अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैम्फलेट नीचे दिया गया है।

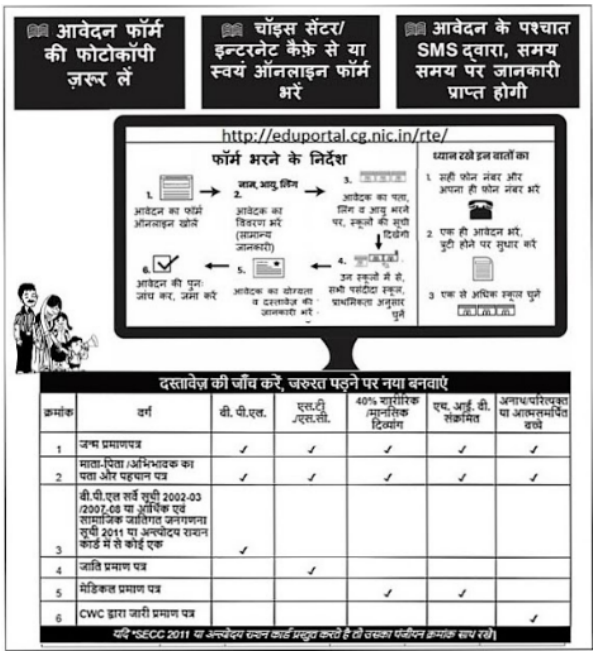

बिलासपुर में प्रशिक्षण, रायगढ़ में प्रशिक्षण, राजनांदगांव में ग्राउंड अभियान, बालोद में नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण, बलरामपुर और रायगढ़ के नोडल अधिकारियों और निजी स्कूल प्रशासकों का प्रशिक्षण, आरटीई हेल्पलाइन बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के साथ चर्चा, माननीय शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की जा रही प्रतिपूर्ति राशी, दुर्ग में नोडल अधिकारियों एवं दंतेवाड़ा में डीईओ संचालक के साथ इंडस एक्शन की टीम।

यह शिक्षा है, जो सही हथियार है, सामाजिक दासता को काटने के लिए ,और यह शिक्षा है, जो दबे-कुचले लोगों को जागरूक करेगा ऊपर आने और सामाजिक स्थिति हासिल करने के लिए, आर्थिक सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए।

– डॉ. भीम राव अम्बेडकर